

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100394

दिनांक: 17/12/2025

लोक सूचना

श्री HUKAM CHAND SHARMA पुत्र श्री GHASI RAM SHARMA जाति BRAHMAN निवासी PATIWALO
KI DHANI AJMER ROAD BHANKROTA JAISINGHPURA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	भांकरोटा कलां, साँगानेर (जयपुर)	1.) हुक्मचन्द पुत्र घासी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	3524/3508	0.4378	0.327513
कुल					0.327513

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17-12-2025 को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)

RAJASTHAN PATRIKA & SANDHYA JYOTI DARPAN (Evening)

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

